A-1.6

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No---59 Dated-----21-04-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.6300 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Tolab to Pandi Motor Road under District Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Pandi** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire..–.. hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure…. — NA —

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it; — NA —

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Raghav

(Dr. Raghav Langer)

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 21-04-2015 at time 2:30 PM ...at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **0.6300** hect for the **Construction of Tolab to Pandi Motor Road under District Sector (1.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:..............

Raghav

(Dr. Raghav Langer)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तोलब से पांदी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0।)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– कांधार (तोलब)

तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तोलब से पांदी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.6300 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 0.6300 है0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तोलब (कांधार) द्वारा दिनांक 21/3/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तोलब (कांधार) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Shamsly

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तोलब से पांदी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0

दिनांक 2/3/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तोलब कर्णधार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरी कुमाला (क्षे० प० स०)	[signature]
2	रूप लाल (उ० प्र०)	[signature]
3	कमला देवी (म० मं०)	कमलादेवी
4	वीरू लाल	[signature]
5	वीरू लाल	[signature]
6	जगदीश लाल	जगदीशलाल
7	कमल लाल	कमललाल
8	मातृभूषण	[signature]
9	हरिप्रसाद	[signature]
10	भीमलाल	भीमलाल
11	कुँवरलाल	कुँवरलाल
12	गुड्डूलाल	गुड्डूलाल
13	[illegible]	[signature]
14	जयसिंह	[signature]
15	रायसिंह	रायसिंह
16	हरवीर सिंह	हरवीर सिंह
17	दयाल लाल	दयाललाल
18	इन्द्रलाल	इन्द्रलाल

संलग्न है।

[signature]

ह0 / –
ग्राम प्रधान

प्रधान
क्षेत्र पंचायत ...
ग्राम पंचायत कर्णधार
विकासखण्ड अगस्त्यमुनि
[signature]

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तोलब से पांदी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0।)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ~~जखोली~~। रूद्रप्रयाग

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तोलब से पांदी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.6300 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 0.6300 हे0** वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, **(तहसील रूद्रप्रयाग)** की दिनांक 13/4/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री चतरसिंह चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री चतर सिंह चौहान उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग –अध्यक्ष

2– श्री अजय शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग –सदस्य

3– श्री हर्षवर्धन बहुगुणा ~~सहायक~~ समाज कल्याण अधिकारी–सदस्य/सचिव

4– श्री हरि कुकरेती बी0डी0सी0 क्षेत्र बोरा वार्ड-19 –सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तोलब से पांदी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 हेतु. **0.6300 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तोलब से पांदी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी0 के निर्माण हेतु 0.6300 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग।

उपप्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग उप वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

जिला समाज कल्याण अधिकारी
रूद्रप्रयाग